.......................रामजीलाल.............................बनाम..........हरसहाय..

किस्म मुकदमा........................223 आर.टी.एक्ट...नं.......................77...सन्................2019..........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जावे।	

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के कोर्ट कैम्प नारायणपुर के निर्णय प्रारंभिक डिक्री दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है।

चूंकि इस अपील का अन्तिम निर्णय दिनांक 27.07.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा पारित किया जा चुका है जिसकी संबंधित अपील इस न्यायालय में पेश कर दी गई है।

अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1019, 1022, 1028, 1029 वाके ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। असल रेस्पो0 वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। तहत अदालत द्वारा दिनांक 27.06.2018 को पत्रावली को राजस्व कैम्प नारायणपुर में ले जाकर बिना अपीलांट प्रतिवादीगण को सूचित किये गैरहाजरी दर्ज करके एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्रारंभिक डिक्री कर दिया। तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध व खिलाफ मौका व रिकॉर्ड एवं कब्जा, बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। तनकीयात के लिये लग रहे प्रकरण में प्रतिवादीगण यदि उपस्थित नही होते हैं तो भी उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही कानूनन नही की जा सकती है तथा तहत अदालत द्वारा तनकीयात नही बनाकर बिना साक्ष्य के निर्णय पारित किया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है–

(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।

(2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है।अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है साथ ही तहत अदालत द्वारा जमाबंदी संवत 2069–72 पर लगे नोट बाबत् गौर नही किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तहत न्यायालय के आदेश दि0 27.06.2018 को निरस्त किया जाता है। उक्त अपील को तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। Sd/-

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)